न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 28 / 2025

अपीलांट –	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स–**
भैराराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी सारणों का तला, जाखडों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार बाड़मेर 2. करनाराम पुत्र तलछाराम 3. चैनाराम पुत्र मासिंगाराम 4. हुकमाराम पुत्र मासिंगाराम 5. विजय कुमार जाखड पुत्र तुलछाराम 6. हेमी देवी पत्नि तुलसाराम जाति जाट सारणों का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर 7. चुनाराम पुत्र भगवानाराम 8. भूराराम पुत्र भगवानाराम 9. सुद्रोंदेवी पत्नि भगवानाराम जाति जाट निवासी जुनाखेडा, आमलियाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 402 दिनांक 25.04.2025 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कुम्भाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं. 2 से 9 सूचना बावजूद अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 13.08.2025

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 402 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 25.04.2025 के विरूद्ध दिनांक 25.06.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ो की ढाणी के खेत खसरा नंबर 756 रकबा 8.0937 हैक्टयर (50 बीघा) भूमि आयी हुई है। अपीलांट द्वारा उक्त खसरें में 50

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बीघा में से 36 बीघा भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक 25.04.2025 को उतरदाता संख्या 2 से 9 को संयुक्त रूप से किया गया तथा बेचान पत्र दिनांक 25.04.2025 को उपपंजीयक बाड़मेर में दस्तावेज संख्या 202503078101356 पर चस्पा करवाया गया। उक्त बेचान के बाद खसरा नंबर 756 में शेष 14 बीघा भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त बेचान पत्र दिनांक 25.04.2025 के आधार पर ओटो म्यूटेशन संख्या 402 खोलकर उतरदाता संख्या 01 के द्वारा स्वीकृत किया गया जिस पर उतरदाता संख्या 01 ने पंजीबद्ध बेचान पत्र का अवलोकन किये बिना ही बेचानसुदा 36 बीघा भूमि के स्थान पर सम्पूर्ण 50 बीघा भूमि का नामान्तरकरण उतरदाता संख्या 2 से 9 के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2025 को प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ो की ढाणी के खेत खसरा नंबर 756 रकबा 8.0937 हैक्टयर (50 बीघा) भूमि आयी हुई है। अपीलांट द्वारा उक्त खसरें में 50 बीघा में से 36 बीघा भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक 25.04.2025 को उतरदाता संख्या 2 से 9 को संयुक्त रूप से किया गया तथा बेचान पत्र दिनांक 25.04.2025 को उपपंजीयक बाड़मेर में दस्तावेज संख्या 202503078101356 पर चस्पा करवाया गया। उक्त बेचान के बाद खसरा नंबर 756 में शेष 14 बीघा भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त बेचान पत्र दिनांक 25.04.2025 के आधार पर ओटो म्यूटेशन संख्या 402 खोलकर उतरदाता संख्या 01 के द्वारा स्वीकृत किया गया जिस पर उतरदाता संख्या 01 ने पंजीबद्ध बेचान पत्र का अवलोकन किये बिना ही बेचानसुदा 36 बीघा भूमि के स्थान पर सम्पूर्ण 50 बीघा भूमि का नामान्तरकरण उतरदाता संख्या 2 से 9 के पक्ष मे स्वीकृत कर करते हुए आलौच्य नामान्तरकरण पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 25.04.2025 को राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने हेतु आदेश फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि वर्तमान में अरसा कुछ दिन पूर्व अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि मे बेचान के बाद बची भूमि पर फार्मर आईडी बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपके नाम इस खसरा नंबर 756 मे नाम नहीं है। उक्त सम्पूर्ण भूमि का बेचान हो चुका है तथा उक्त भूमि वर्तमान में उतरदाता संख्या 2 से 9 के नाम दर्ज है। जिस पर अपीलांट ने उक्त नामान्तकरण की नकले मांगी जो नकल दिनांक 22.06.2025 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 402 दिनांक 25.04.2025 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल मे लाई गई।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ो की ढाणी के खेत खसरा नंबर 756 रकबा 8.0937 हैक्टयर (50 बीघा) भूमि आयी हुई है। अपीलांट द्वारा उक्त खसरें में 50 बीघा में से 36 बीघा भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक 25.04.2025 को उतरदाता संख्या 2 से 9 को संयुक्त रूप से किया गया तथा बेचान पत्र दिनांक 25.04.2025 को उपपंजीयक बाड़मेर में दस्तावेज संख्या 202503078101356 पर चस्पा करवाया गया। उक्त बेचान के बाद खसरा नंबर 756 में शेष 14 बीघा भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त बेचान पत्र दिनांक 25.04.2025 के आधार पर ओटो म्यूटेशन संख्या 402 खोलकर उतरदाता संख्या 01 के द्वारा स्वीकृत किया गया जिस पर उतरदाता संख्या 01 ने पंजीबद्ध बेचान पत्र का अवलोकन किये बिना ही बेचानसुदा 36 बीघा भूमि के स्थान पर सम्पूर्ण 50 बीघा भूमि का नामान्तरकरण उतरदाता [illegible] से 9 के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण [illegible] ह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2025 को प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अधिवक्ता अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर बाड़मेर

कथन है कि अपीलांट द्वारा उक्त खसरें में 50 बीघा में से 36 बीघा भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक 25.04.2025 को उतरदाता संख्या 2 से 9 को संयुक्त रूप से किया गया। उक्त बेचान के बाद खसरा नंबर 756 में शेष 14 बीघा भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त बेचान पत्र दिनांक 25.04.2025 के आधार पर ओटो म्यूटेशन संख्या 402 खोलकर उतरदाता संख्या 01 के द्वारा स्वीकृत किया गया जिस पर उतरदाता संख्या 01 ने पंजीबद्ध बेचान पत्र का अवलोकन किये बिना ही बेचानसुदा 36 बीघा भूमि के स्थान पर सम्पूर्ण 50 बीघा भूमि का नामान्तरकरण उतरदाता संख्या 2 से 9 के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया। अतः उक्त नामान्तरकरण पारित करने में कानूनी रूप से भारी भूल की है जिससे आलौच्य नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 402 अपास्त करते हुए राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने हेतु आदेश फरमावें। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि अपीलांट द्वारा मौजा सारणों का तला खसरा नंबर 756 में 50 बीघा में से 36 बीघा भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के दिनांक 25.04.2025 को उतरदाता संख्या 2 से 9 को संयुक्त रूप से किया गया। उक्त बेचान पत्र दिनांक 25.04.2025 के आधार पर ओटो म्यूटेशन संख्या 402 खोलकर उतरदाता संख्या 01 के द्वारा स्वीकृत किया गया जो अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है जिन्हें बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ो की ढाणी के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 402 दिनांक 25.04.2025 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि उक्त नामान्तरकरण पुनः पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 25.04.2025 के अनुसार एवं अपीलांट व बेचानकर्तागण को सुनवाई अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक [illegible] न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर